CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 66 रायपुर, मंगलवार 31 मार्च 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़, नौ की मौत

पीएम मोदी और सीएम की तरफ से मुआवजों का एलान, चैत्र के अंतिम मंगलवार के कारण उमड़ी भीड़

नई दिल्ली, 31 मार्च (न्यूज चैनल)। इधर पूरा प्रशासनिक तंत्र नालंदा में राष्ट्रपति के दौरे की व्यवस्था में लगा था, उधर जिले के बिहारशरीफ से बुरी खबर सामने आ गई। बिहार शरीफ स्थित मघड़ा स्थित माता शीतला माता के मंदिर में मंगलवार को भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। अचानक मची इस भगदड़ में नौ महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि छह से लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मॉडल अस्पताल, बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों की पहचान नालंदा निवासी दयावंती देवी, मालो देवी, किरता देवी, रीता देवी, आशा देवी, रेखा देवी के रूप में हुई है। तीन अन्य की पहचान की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, चैत माह का अंतिम मंगलवार होने के कारण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर अचानक अफवाह फैली और देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति बन गई। भीड़ के दबाव में कई लोग गिर पड़े। भागदौड़ में लोग एक-दूसरे पर चढ़ते चले गए। कुछ देर बाद जब भीड़ नियंत्रित हुई तो कुचल कर मरने वालों के शव निकलने शुरू हुए। नौ शवों को घटनास्थल से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। नालंदा पुलिस टीम की मामले की जांच में जुट गई है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का नालंदा दौरा होने के कारण प्रशासनिक तंत्र वहां की व्यवस्था में था और इधर यह बड़ी घटना सामने आ गई। घटना के बाद एक घंटे तक लोग अपने परिजनों का पता करने में लगे रहे। ज्यादातर लोग परिवार के साथ आए थे, जिसके कारण बच्चों की संख्या भी ज्यादा थी।

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने नालंदा के मां शीतला मंदिर में पूजा के दौरान मची भगदड़ की घटना पर गहरा दु:ख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायल हुए सभी श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

मुख्यमंत्री ने छह लाख रुपये देने का किया एलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित शीतला देवी मंदिर में हुये भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है और मैं इससे मर्माहत हूं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग से चार-चार लाख रूपये एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये (कुल छह लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये हैं तथा राहत एंव बचाव कार्य में जुटे हुये है। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल हुये लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और उनकी समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है।

एके-47 के साथ 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर

8-8 लाख रुपए का घोषित था इनाम

कांकेर, 31 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दो नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सरेंड करने वाले नक्सलियों की पहचान हिड़मे और शंकर के रूप में की गई है। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसकी पुष्टि एसपी निखिल राखेचा ने की है। जानकारी के अनुसार, दोनों नक्सली एके-47 जैसे घातक हथियार के साथ पुलिस के पास पहुंचे और मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई। पुलिस अधिकारियों ने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें शासन की पुनर्वास नीति का लाभ देने की बात कही है। सरकार द्वारा निर्धारित नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन के दिन ही यह आत्मसमर्पण हुआ है, जिसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बताया जा रहा कि अब भी कांकेर के जंगलों में

करीब 15 नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही है, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील लगातार की जा रही है। आने वाले समय में और भी नक्सलियों के सरेंडर की उम्मीद है।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने महावीर जयंती पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

रायपुर, 31 मार्च (हाईवे चैनल)। राज्यपाल रमेन डेका और सीएम विष्णुदेव साय ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

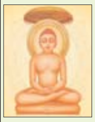

हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाः निजी आवास में शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा पर रोक नहीं लगा सकती पुलिस

बिलासपुर, 31 मार्च (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी व्यक्ति को अपने निजी आवास में शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए पूर्व से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा जारी नोटिसों को निरस्त कर दिया और याचिकाकर्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान न करने के निर्देश दिए।

मामले में याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर पुलिस थाना नवागढ़ द्वारा जारी नोटिसों को चुनौती दी थी। साथ ही 7 दिसंबर 2025 के एक आदेश को निरस्त करने और अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल ग्राम गोधन, तहसील एवं थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा में अपने अपने आवास के वैध स्वामी हैं। दोनों याचिकाकर्ता आपस में रिश्तेदार हैं और उन्होंने अपने मकान की पहली मंजिल पर एक हॉल बनाकर वर्ष 2016 से ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं।

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इन सभाओं में किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या शांति भंग नहीं होती, इसके बावजूद थाना नवागढ़ के प्रभारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के तहत बार-बार नोटिस जारी कर प्रार्थना सभा पर रोक लगाने का प्रयास किया।

अंधे कत्ल का खुलासा: सगे भाई ने रची थी हत्या की साजिश, 15 आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली, 31 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में सेवानिवृत्त लेखापाल की हत्या मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक के सगे भाई और परिजन ही निकले, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए सुनियोजित साजिश रचते हुए सुपारी देकर अपहरण के बाद अपने ही भाई की हत्या करा दी। इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल थाना लालपुर क्षेत्र से लापता हुए सेवानिवृत्त लेखापाल दामोदर सिंह राजपूत की तलाश के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और त्रिनयन एप की मदद से संदिग्ध वाहन की पहचान की, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने एक-एक कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पहले दामोदर और उसके बेटे के बीच विवाद का फायदा उठाया। फिर दामोदर को बेटे से जान का खतरा बताकर उसकी संपत्ति अपने नाम करवा ली। इतना ही नहीं, बेटे को संपत्ति से वंचित करने के लिए फर्जी वचनपत्र भी तैयार किया गया। घटना वाले दिन आरोपियों ने दामोदर सिंह को सुनसान रास्ते में रोका और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

CMYK